न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 102/2023

1. फूसाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 38 केवाईडी खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

–: आदेश :– दिनांक :– 12.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसीलदार खाजूवाला का चक 38 केवाईडी का मु0नं0 141/51 के किला नं0 1 ता 7, 15, 16 में 2.2508 है0 अ0क0 व मु0नं0 141/58 के किला नं0 15 ता 23 में कुल 2.2761 है0 अ0क0 व मु0नं0 141/59 के किला नं0 1 ता 3, 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में कुल 5. 0580 है0 अ0क0 व मु0नं0 141/60 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 अ0क0 इसप्रकार कुल 15.9074 हैक्टर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि के मुरब्बा नं0 141/51 के किला नं0 1/2, 2 ता 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा व मु0नं0 141/59 के किला नं0 1,2,3,8,13,18 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 12 बिस्वा इसप्रकार कुल 01.02 बीघा भूमि को रास्ते हेतु गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी का सहमतिपत्र शपथपत्र प्रस्तुत है एवं रकबा की जमाबंदी प्रस्तुत है। बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र के साथ सहमतिपत्र अनुसार मुरब्बा नं0 141/51 के किला नं0 1/2, 2 ता 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा व मु0नं0 141/59 के किला नं0 1,2,3,8,13,18 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 12 बिस्वा इसप्रकार कुल 01.02 बीघा रकबा रास्ता में समर्पण करवाना चाहते है। आमजन की सुविधा को देखते हुवे मु0नं0 मुरब्बा नं0 141/51 के किला नं0 1/2, 2 ता 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा व मु0नं0 141/59 के किला नं0 1,2,3,8,13,18 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 12 बिस्वा इसप्रकार कुल 01.02 बीघा भूमि रास्ता मन्जूर किया जाना उचित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 16 बीएलडी ए मु0नं0 54/43 किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 38 केवाईडी मुरब्बा नं0 141/51 के किला नं0 1/2, 2 ता 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा व मु0नं0 141/59 के किला नं0 1,2,3,8,13,18 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 12 बिस्वा इसप्रकार कुल 01.02 बीघा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)